न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 79/2020 (2020/00353)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 05.08.2020

अनवान

1. भगवतसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रसिंह आत्मज भंवरसिंह राजपुत
2. उच्छब कंवर पत्नि भंवरसिंह राजपुत
3. कैलाशकंवर पुत्री मानसिंह राजपुत
4. किशनसिंह आत्मज प्रतापसिंह राजपुत
5. जालमसिह आत्मज फतेहसिंह राजपुत
6. तेजसिंह आत्मज रेवतसिंह राजपुत
7. नवलसिंह आत्मज मानसिंह राजपुत
8. नारायणसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत
9. पुरणकंवर पत्नि मानसिंह राजपुत
10. प्रेमसिंह आत्मज मानसिंह राजपुत
11. पर्वतसिंह आत्मज भीमसिंह राजपुत

1प 12. पारसकंवर पुत्री मानसिंह राजपुत

2प 13 . बबलुसिंह आत्मज भंवरसिंह राजपुत

3प 14. भगवतसिंह आत्मज मानसिंह राजपुत

4प 15. भेरूसिंह आत्मज भीमसिंह राजपुत

5प 16. मनोहरसिंह आत्मज गोविंदसिंह राजपुत

17. मुलकंवर पत्नि प्रतापसिंह राजपुत
18. राजकंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपुत
19. लक्ष्मणसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत
20. लालसिंह आत्मज मानसिंह राजपुत
21. विष्णुकंवर पुत्री भंवरसिंह रापपुत
22. हमेरसिंह आत्मज गोकलसिंह राजपुत

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री [illegible] सलीम अंसारी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 79/2020 (2020/00353)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः—03.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम करणजी की खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या एक लगायत 22 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 414 रकबा 0.15 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 112 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 , 6 लगायत 15 एवं 17 लगायत 22 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 5 व 16 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम करणजी की खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या एक लगायत 22 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 414 रकबा 0.15 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 112 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchori
Date: 2021.01.12 13:59:25 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner